

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| <p>1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।</p> <p>3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,
उ०प्र०।</p> | <p>2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।</p> <p>4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०।</p> |
|--|--|

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 04.02-2023

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबुल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) के प्रस्तर-4.7 में संशोधन।


महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबुल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 18.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा निर्गत संशोधित योजना के प्रस्तर-4.7 में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन का निर्णय लिया गया है:-

शासनादेश संख्या-21/2020/531/ आठ-1-20-106 विविध/2018 दिनांक 18.03.2020 के प्रस्तर-4.7 में किये गये प्राविधान	संशोधित प्राविधान
<p>4.7-ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि बंधक रखी जाएगी, जिसे ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों के लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अधिकतम चार समान किशतों में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ई०डब्ल्यू०एस० आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। विकासकर्ता द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बंधक रखी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर उसका विक्रय कर शासकीय अभिकरण द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा। इसके साथ ही ई०डब्ल्यू०एस० भवनों हेतु डी०पी०आर० में</p>	<p>4.7-ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि बंधक रखी जाएगी, जिसे ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों के लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अधिकतम चार समान किशतों में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ई०डब्ल्यू०एस० आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। विकासकर्ता द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बंधक रखी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर उसका विक्रय कर शासकीय अभिकरण द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा। इसके साथ ही</p>

<p>निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक बने भवन (यदि कोई हो) भी जब्त किये जायेंगे। ऐसे विकासकर्ता जो पूरी योजना में मात्र ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों का ही निर्माण कर रहे हैं, से इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि अथवा इससे कम धनराशि जो वह अवमुक्त कराना चाहते हैं, के बराबर बैंक गारण्टी ली जायेगी और बैंक गारण्टी की वैधता अवधि 20 माह होगी, जिसे लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अवमुक्त कर दिया जायेगा।</p>	<p>ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों हेतु डी0पी0आर0 में निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक बने भवन (यदि कोई हो) भी जब्त किये जायेंगे। ऐसे विकासकर्ता जो पूरी योजना में मात्र ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों का ही निर्माण कर रहे हैं, से इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि अथवा इससे कम धनराशि जो वह अवमुक्त कराना चाहते हैं, के बराबर बैंक गारण्टी ली जायेगी और बैंक गारण्टी की वैधता अवधि 20 माह होगी, जिसे लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकल्प के रूप में बंधक रखी जाने वाली भूमि के मूल्य का आंकलन संबंधित अभिकरण द्वारा करते हुए उसके समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी के रूप में योजना की पूर्ण अवधि हेतु जमा कराया जाय। इस दशा में भूमि मूल्य में वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष बैंक गारण्टी में भी वृद्धि करते हुए आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कराया जाय।</p>
---	---

2- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।


(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-820) आठ-1-23-106विविध/2018 दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस आशय से कि अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखन को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| <p>1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।</p> <p>3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,
उ०प्र०।</p> | <p>2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।</p> <p>4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०।</p> |
|--|--|

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : ०१-०२-२०२३

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबुल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) के प्रस्तर-4.7 में संशोधन।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबुल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 18.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा निर्गत संशोधित योजना के प्रस्तर-4.7 में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन का निर्णय लिया गया है:-

शासनादेश संख्या-21/2020/531/ आठ-1-20-106 विविध/2018 दिनांक 18.03.2020 के प्रस्तर-4.7 में किये गये प्राविधान	संशोधित प्राविधान
<p>4.7-ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि बंधक रखी जाएगी, जिसे ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों के लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अधिकतम चार समान किशतों में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ई०डब्ल्यू०एस० आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। विकासकर्ता द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बंधक रखी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर उसका विक्रय कर शासकीय अभिकरण द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा। इसके साथ ही ई०डब्ल्यू०एस० भवनों हेतु डी०पी०आर० में</p>	<p>4.7-ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि बंधक रखी जाएगी, जिसे ई०डब्ल्यू०एस० इकाईयों के लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अधिकतम चार समान किशतों में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ई०डब्ल्यू०एस० आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। विकासकर्ता द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बंधक रखी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर उसका विक्रय कर शासकीय अभिकरण द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा। इसके साथ ही</p>

निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक बने भवन (यदि कोई हो) भी जब्त किये जायेंगे।

ऐसे विकासकर्ता जो पूरी योजना में मात्र ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों का ही निर्माण कर रहे हैं, से इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि अथवा इससे कम धनराशि जो वह अवमुक्त कराना चाहते हैं, के बराबर बैंक गारण्टी ली जायेगी और बैंक गारण्टी की वैधता अवधि 20 माह होगी, जिसे लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अवमुक्त कर दिया जायेगा।

ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों हेतु डी0पी0आर0 में निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक बने भवन (यदि कोई हो) भी जब्त किये जायेंगे।

ऐसे विकासकर्ता जो पूरी योजना में मात्र ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों का ही निर्माण कर रहे हैं, से इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि अथवा इससे कम धनराशि जो वह अवमुक्त कराना चाहते हैं, के बराबर बैंक गारण्टी ली जायेगी और बैंक गारण्टी की वैधता अवधि 20 माह होगी, जिसे लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अवमुक्त कर दिया जायेगा।

विकल्प के रूप में बंधक रखी जाने वाली भूमि के मूल्य का आंकलन संबंधित अभिकरण द्वारा करते हुए उसके समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी के रूप में योजना की पूर्ण अवधि हेतु जमा कराया जाय। इस दशा में भूमि मूल्य में वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष बैंक गारण्टी में भी वृद्धि करते हुए आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कराया जाय।

2— प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबुल हाउसिंग—इन—पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018—2021) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव।

संख्या— ४२०/आठ-1-23-106विविध/2018 दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस आशय से कि अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखन को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

५ आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।